

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक : F 26(4)() डी-वर्मिंग/IEC/ICDS/2013/

94788-820

दिनांक :

18-7-18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त

विषय:-राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के पश्चात् आंगनबाड़ी केन्द्रों में बची हुई एलबेन्डाजोल दवा के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (10 फरवरी, 2016) कार्यक्रम के पश्चात् आंगनबाड़ी केन्द्रों में बची हुई एलबेन्डाजोल दवा के संबंध में अपने जिले के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों, महिला पर्यवेक्षकों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित करें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने केन्द्रों पर उपलब्ध एलबेन्डाजोल दवा को गिनकर नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जमा करवा कर रसीद भी प्राप्त करें तथा इसकी सूचना निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F 26(4)() डी-वर्मिंग/IEC/ICDS/2013/

9488-822

दिनांक :

18-7-18

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर को उनके पत्रांक 1798 दिनांक 10.06.2016 के क्रम में।
2. एसीपी (उप निदेशक) निदेशालय, को भेजकर लेख है कि कम्प्यूटर पर अपलोड कर विभाग की वैबसाईट पर इसे डालने का श्रम करें।

सहायक

सहायक निदेशक (आईईसी)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर